रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 24 जून, 1998/3 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 1998

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16) 20/98—"दि इंडियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1991 (1991 का 11)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख 11 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया

2138-राजपत्र/98-24-6-98—1,288. मूल्य : 1 रुपया ।

जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1991

(1991 का 11)

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल, 1991 को यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1991 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

अनुसूची 1-क का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से उपाबद्ध अनुसूची 1-क में,—

(क) अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 33 तथा अनुच्छेद 40 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 40 का खण्ड (क) रखा जाएगा, अर्थात्:—

"लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क	अन्य हस्तांतरण पत्र
1	2	3
23. हस्तांतरण-पत्र [धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित] जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है ।	जहां हस्तांतरण स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की कोटि में आता है ।	
	(क)	(ख)
जहां कि ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल का, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें उपवर्णित है, 50 रुपये से अधिक नहीं है;	छः रुपए ।	एक रुपया पचास पैसे ।
जहां कि वह 50 रुपए से अधिक है किन्तु 100 रुपए से अधिक नहीं है ;	बारह रुपए ।	तीन रुपए ।

1	2	3
जहां कि वह 100 रुपए से अधिक है, किन्तु 200 रुपए से अधिक नहीं है ;	चौबीस रुपए ।	छः रुपए ।
जहां कि वह 200 रुपए से अधिक है, किन्तु 300 रुपए से अधिक नहीं है ;	छतीस रुपए ।	नौ रुपए ।
जहां कि वह 300 रुपए से अधिक है, किन्तु 400 रुपए से अधिक नहीं है ;	अड़तालीस रुपए ।	बारह रुपए ।
जहां कि वह 400 रुपए से अधिक है, किन्तु 500 रुपए से अधिक नहीं है ;	साठ रुपए ।	पन्द्रह रुपए ।
जहां कि वह 500 रुपए से अधिक है, किन्तु 600 रुपए से अधिक नहीं है ;	बहत्तर रुपए ।	अठारह रुपए ।
जहां कि वह 600 रुपए से अधिक है, किन्तु 700 रुपए से अधिक नहीं है ;	चौरासी रुपए ।	इक्कीस रुपए ।
जहां कि वह 700 रुपए से अधिक है, किन्तु 800 रुपए से अधिक नहीं है ;	छियानवे रुपए ।	चौबीस रुप ।
जहां कि वह 800 रुपए से अधिक है, किन्तु 900 रुपए से अधिक नहीं है ;	एक सौ आठ रुपए ।	सताईस रुपए ।
जहां कि वह 900 रुपए से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ;	एक सौ बीस रुपए ।	तीस रुपए ।
और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक पांच सौ रुपए या उसके भाग के लिए ।	साठ रुपए ।	पन्द्रह रुपए ।

छूट

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन।

सह-भागीदारी-विलेख	भागीदारी (सं0 46) देखिए ।
33. दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं0 58) या बिल या अन्तरण (संख्या 62) नहीं है ।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल, यदि कोई हो, के बराबर प्रतिफल वाले विक्रय की कोटि में आने वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर इस अधिनियम के अधीन लगता है या ऐसी लिखत में उपवर्णित प्रतिफल पर जो भी अधिक हो, लगता है;
भाड़ा सम्बन्धी करार या सेवा के लिए करार ।	
करार (सं0 5) देखिए ।	
40 (क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है ।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रतिफल, यदि कोई हो, के बराबर प्रतिफल वाले विक्रय की कोटि में आने वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर इस अधिनियम के अधीन लगता है या ऐसी लिखत में उपवर्णित प्रतिफल पर, जो भी अधिक हो, लगता है;"

(ख) अन्त में आए विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।